राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 37 / 2024

अंतर्गत

अपील संख्या :—2634 / 2016

धनश्याम शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (प्रशासन), हसनपुरा रोड़, जयपुर व अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.12.2024

उपस्थित —

अपीलकर्ता / प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2634 / 2016 धनश्याम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अधिकरण द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 26.07.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया हैः—

> ''अतः अपील स्वीकार को जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मूल विभाग में अधिशेष होकर वर्तमान विभाग में समायोजन के समय उसके वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति की तिथी से विभाग के वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का सही निर्धारण किया जावे एवं उसके अनुरूप कार्यालय अधीक्षक एवं राहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उक्त वरिष्ठता के अनुरूप पदोन्नति प्रदान की जावे। इस हेतु रिव्यू डीपीसी का आयोजन तीन माह में किया जाकर अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक परिलाभ प्रदान किये जावे। ''

2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि यह अपील दिनांक 18.04.2024 को अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई और उक्त प्रकरण को पुनः रेस्टोर किया जाकर पुनः सुनवाई पर लेने की जानकारी प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त नहीं हुई अर्थात् प्रकरण के रेस्टोर करने के पश्चात विभाग को इस प्रकरण में पुनः सुनवाई के संबंध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अधिकरण द्वारा अपील को रेस्टोर के बाद पुनः सुनवाई करते हुए दिनांक 26.07.2024 को प्रकरण का निस्तारण किया गया है और प्रत्यर्थी विभाग को प्रकरण में प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि प्रकरण प्रत्यर्थी विभाग की अनुपस्थिति में निस्तारित हुआ है। अतः अधिकरण के निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।
3. हमने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री और रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।
4. यह सही है कि अपील संख्या 2634/2016 पूर्व में दिनांक 18.04.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी, जिसको पुनः रेस्टोर कर पुनः सुनवाई पर लिया गया।
5. प्रत्यर्थी विभाग इस आधार पर अधिकरण के आदेश दिनांक 24.07.2024 में पुनर्विलोकन चाहते है कि उनकी अनुपस्थिति में प्रकरण निस्तारित हुआ है और अपील रेस्टोर होने के बाद प्रत्यर्थी विभाग को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग की ओर से तत्समय राजकीय अधिवक्ता अधिकरण में स्थाई रूप से नियुक्त थे और अधिकरण में प्रतिदिन सुनवाई होने वाले प्रकरणों की दैनिक वाद सूची जारी होती है।
7. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका में अधिकरण द्वारा पारित आदेश के गुणावगुण संबंध में कोई निवेदन नहीं किया गया है न ही कोई विधिक बिन्दु उठाये है एवं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधिकरण द्वारा जारी आदेश किस आधार पर तथ्यों के एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण रिव्यू किया जाना अपेक्षित है। हमारे द्वारा अपील में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील अपीलार्थी के अधिशेष कर्मचारी होने पर जिस विभाग में समायोजित

किया गया है उसमें अधिशेष कर्मचारी का आमेलन नियम 1969 के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत रिव्यू याचिका बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य